



Bid Number/बोली संख्या:  
GEM/2023/B/3772028  
Dated/दिनांक: 17-08-2023

### Bid Document/बोली दस्तावेज़

#### Bid Details/बोली का विवरण

<b>Bid End Date/Time/ बोली बंद होने की तारीख/समय</b>	30-08-2023/19:00:00
<b>Bid Opening Date/Time/ बोली खुलने की तारीख/समय</b>	30-08-2023/19:30:00
<b>Bid Offer Validity (From End Date)/ बोली प्रस्ताव की वैधता (बंद होने की तारीख से)</b>	30 (Days) 30 (दिन)
<b>Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम</b>	Ministry Of Commerce And Industry वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
<b>Department Name/विभाग का नाम</b>	Department Of Commerce वाणिज्य विभाग
<b>Organisation Name/संगठन का नाम</b>	Special Economic Zones विशेष आर्थिक क्षेत्र
<b>Office Name/ कार्यालय का नाम</b>	Santacruz Electronics Export Processing Zone सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
<b>Item Category/मद श्रेणी</b>	Facility Management Services - Lump Sum Based - Industrial; Security Services; Consumables to be provided by service provider (inclusive in contract cost) सुविधा प्रबंधन सेवाएं - एकमुश्त आधारित - औद्योगिक; सुरक्षा सुविधाएं; सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली उपभोग्य वस्तुएं (संविदा लागत सहित)
<b>Contract Period/संविदा अवधि</b>	3 Year(s) 1 Day(s) 3 साल 1 दिन
<b>Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/ बोली लगाने वाले का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (3 वर्षों के लिए)</b>	300 Lakh (s) 300 लाख
<b>Years of Past Experience Required for same/similar service/समान/समान सेवा के लिए पिछले वर्षों का आवश्यक अनुभव</b>	3 Year (s) 3 साल
<b>Past Experience of Similar Services required/इसी तरह के समान सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव</b>	Yes हां
<b>MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/अनुभव के वर्षों और कारोबार के लिए एमएसई छूट</b>	No नहीं

<p><b>Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों और कारोबार के लिए स्टार्टअप छूट</b></p>	<p>No नहीं</p>
<p><b>Document required from seller/ विक्रेता से मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़</b></p> <p>*यदि कोई बोली लगाने वाला अनुभव/कारोबार के मानदंड में छूट चाहता है, तो छूट के लिए उसकी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने चाहिए।</p>	<p>अनुभव मानदंड, बोलीदाता के कारोबार, प्रमाणपत्र (एटीसी में अनुरोधित), अतिरिक्त दस्तावेज़ 1 (एटीसी में अनुरोधित), अतिरिक्त दस्तावेज़ 2 (एटीसी में अनुरोधित), अतिरिक्त दस्तावेज़ 3 (एटीसी में अनुरोधित), अतिरिक्त दस्तावेज़ 4 (एटीसी में अनुरोधित) Experience Criteria, Bidder Turnover, Certificate (Requested in ATC), Additional Doc 1 (Requested in ATC), Additional Doc 2 (Requested in ATC), Additional Doc 3 (Requested in ATC), Additional Doc 4 (Requested in ATC)</p> <p>*यदि कोई बोली लगाने वाला अनुभव/कारोबार के मानदंड में छूट चाहता है, तो छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने चाहिए।</p> <p>*In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.</p>

Bid Details/बोली का विवरण	
Bid to RA enabled/आरए सक्षम के लिए बोली	No नहीं
Type of Bid/बोली का प्रकार	Two Packet Bid दो पैकेट बोली
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए समय की अनुमति	3 Days 3 दिन
Estimated Bid Value/अनुमानित बोली का मूल्य	261000000
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation कुल मूल्यवार मूल्यांकन

#### EMD Detail/ईएमडी का विवरण

Advisory Bank/सलाहकार बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK पंजाब नेशनल बैंक
EMD Amount/ईएमडी राशि	13050000

#### ePBG Detail/ईपीबीजी का विवरण

Advisory Bank/सलाहकार बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK पंजाब नेशनल बैंक
ePBG Percentage(%) / ईपीबीजी का प्रतिशत(%)	5.00
Duration of ePBG required (Months) / ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (महीने)	48

(क) ईएमडी छूट: ईएमडी छूट चाहने वाले बोलीदाता को बोली के साथ जीईएम जीटीसी के अनुसार संबंधित श्रेणी के लिए वैध सहायक दस्तावेज जमा करना होगा। एमएसई श्रेणी के तहत, केवल वस्तुओं के लिए निर्माता और सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ही ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under the MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy. /

(ख) ईएमडी और प्रदर्शन सुरक्षा, जहां भी लागू हो, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable. /

#### Beneficiary/लाभार्थी :

विकास आयुक्त

अध्यक्ष सह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, सीपज़-सेज़, एमआईडीसी सेंट्रल रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400096

(सीपज़, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण)

Development Commissioner

Chairperson cum Development Commissioner, SEEPZ- SEZ Authority, SEEPZ SEZ, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai 400096. (Seepz Special Economic Zone Authority)

## Splitting/ विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes हां
-------------------------------	---------

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	No नहीं
---	---------

## Details of the Competent Authority for MSE

### एमएसई के सक्षम प्राधिकारी का विवरण

सक्षम प्राधिकारी का नाम Name of Competent Authority	सीपज़-सेज़ प्राधिकरण SEEPZ SEZ Authority
सक्षम प्राधिकारी का पदनाम Designation of Competent Authority	अध्यक्ष सह विकास आयुक्त Chairperson cum Development Commissioner
सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय/विभाग/अनुभाग Office / Department / Division of Competent Authority	सीपज़-सेज़ प्राधिकरण SEEPZ SEZ Authority
सीए अनुमोदन संख्या CA Approval Number	दिनांक 11 अगस्त, 2023 का कार्यवृत्त Minutes dated 11th August, 2023
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख Competent Authority Approval Date	15-08-2023
सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण Brief Description of the Approval Granted by Competent Authority	अनुमोदित आरएफबी के अनुलग्नक-ख के पैरा (ग) के अनुसार; एमएसएमई को वरीयता नहीं दी जाएगी क्योंकि यह एक उच्च जोखिम वाली सेवा है जिसमें बड़े और विश्वसनीय कार्यबल की आवश्यकता होती है। साथ ही, एमएसई को योग्यता/प्रदान करने के मानदंड में भी न तो छूट दी जाएगी और न ही वरीयता दी जाएगी। as per para (c) of Annexure-B of approved RFB; MSME preference shall not be given because this is a high- risk service with requirement of a large and reliable work force, neither exemption nor preference shall be given to MSEs in the qualification / award criteria.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्राथमिकता न चुनने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति: दस्तावेज़ देखने के लिए [View Document](#) पर क्लिक करें-

Competent Authority Approval for not opting Micro and Small Enterprises Preference : [View Document](#)

1. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान बोली लगाने वाले का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, बोली दस्तावेज़ में ऊपर बताए अनुसार होना चाहिए। प्रासंगिक अवधि के प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट के रूप में दस्तावेज़ी साक्ष्य या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित अवधि के कारोबार विवरण का संकेत देने वाला प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड

किया जाएगा। यदि बोलीदाता के गठन/निगमन की तारीख 3 वर्ष से कम अवधि की है, तो गठन की तारीख के बाद पूर्ण वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

2. पिछले वर्षों का आवश्यक अनुभव: बोली लगाने वाले के पास किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी को समान प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कई वर्षों का अनुभव होना चाहिए जैसा कि बोली दस्तावेज़ (बोली खोलने से पहले मार्च के अंत में) में ऊपर दर्शाया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाएं प्रदान करने के समर्थन में बोली के साथ प्रासंगिक संविदा/आदेश की प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।

2. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for a number of years as indicated above in the bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU / Public Listed Company. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.

3. ऊपर दर्शाया गया अनुमानित बोली मूल्य केवल ईएमडी राशि पर मार्गदर्शन के उद्देश्य से और टर्न ओवर, पिछले प्रदर्शन और परियोजना/पिछले अनुभव आदि से संबंधित पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए घोषित किया जा रहा है।

इसकी बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की जाने वाली कीमत पर कोई प्रासंगिकता या असर नहीं है और बोली भागीदारी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसका उपयोग उद्धृत कीमतों की तर्कसंगतता निर्धारित करने में एक मानदंड के रूप में नहीं किया जाएगा, जो कि खरीदार द्वारा तर्कसंगतता के अपने मूल्यांकन के आधार पर और बोली/आरए प्रक्रिया में प्राप्त प्रतिस्पर्धी कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. समान सेवाओं का पिछला अनुभव: बोली लगाने वाले को पिछले तीन वर्षों यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों (बोली खोलने से पहले मार्च के अंत में) में समान सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना होगा:-

1. तीन समान पूर्ण सेवाएं जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम न हो; या
2. दो समान पूर्ण सेवाएं जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम न हो; या
3. एक समान पूर्ण सेवा की लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

4. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -

1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or
3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

Details of the premise: परिसर का

विवरण: [1692191276.pdf](#)

Scope of work: कार्य का विस्तार  
[1692191334.pdf](#)

Details of the premise:  
[1692191276.pdf](#)

Additional Qualification/Data Required/आवश्यक अतिरिक्त योग्यता/डेटा

Geographic Presence in states:MMRDA Region of Maharashtra  
राज्यों में भौगोलिक उपस्थिति: महाराष्ट्र का एमएमआरडीए क्षेत्र

**सुविधा प्रबंधन सेवाएं - एकमुश्त आधारित - औद्योगिक; सुरक्षा सुविधाएं; सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली उपभोग्य वस्तुएं (संविदा की लागत सहित) (1)**

**Facility Management Services - Lump Sum Based - Industrial; Security Services; Consumables To Be Provided By Service Provider (inclusive In Contract Cost) (1)**

(1) तकनीकी विशिष्टताएं/ (1) Technical Specifications/

विशिष्टताएं Specification	मूल्य Values
<b>Core मुख्य</b>	
परिसर का प्रकार Type of Premises	औद्योगिक Industrial
आवश्यक सेवाओं का प्रकार Type of services required	सुरक्षा सुविधाएं Security Services
उपभोग्य वस्तुओं/सामग्रियों की लागत Cost for Consumables/ Materials	सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली उपभोग्य वस्तुएं (संविदा लागत सहित) Consumables to be provided by service provider (inclusive in contract cost)
सेवा के घटक Service component	भौतिक सुरक्षा, पार्किंग प्रबंधन, सीसीटीवी नियंत्रण और संचालन, आगंतुक प्रबंधन और पहुंच नियंत्रण, अग्निशमन प्रणाली Physical Security , Parking Management , CCTV Control & Operations , Visitor Management & Access Control , Fire Fighting System
Addon(s)/ऐड-ऑन	

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विनिर्दिष्ट दस्तावेज़

कंसाइनी/रिपोर्टिंग अधिकारी/Consignees/Reporting Officer/

क्रमांक/ S.No..	कंसाइनी/रिपोर्टिंग अधिकारी/Consignee Reporting/Officer/	Address/पता	1 के तौर पर सेट करें /To be set as 1	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement/
1	जगदीश प्रसाद गौड़/Jagdish Prasad Gaur -	विकास आयुक्त का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सीपज़, गेट नंबर 1, (अंधेरी पूर्व), मुंबई - 400096  400096, DC office, Ministry of Commerce and Industry, SEEPZ, Gate Number 1, Andheri East	1	लागू नहीं N/A

**खरीदार द्वारा जोड़ी गई बोली के विशिष्ट नियम एवं शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/**

1. **वैकल्पिक शर्त:** खरीदार संविदा जारी होने के समय संविदा की मात्रा या संविदा की अवधि को 25 प्रतिशत तक बढ़ा या घटा सकता है। हालांकि, एक बार संविदा जारी होने के बाद, संविदा की मात्रा या संविदा की अवधि केवल 25 प्रतिशत तक ही बढ़ाई जा सकती है। बोलीदाता संशोधित मात्रा या अवधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

1. **Generic 1. सामान्य**

OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. **खरीदार द्वारा जोड़ी गई बोली विशिष्ट एसएलए/Buyer Added Bid Specific SLA**

पाठ शर्त (शर्तें)Text Clause(s)

## सामान्य

### बोलीदाताओं के लिए बोली में भाग लेने के निर्देश

बोली संदर्भ संख्या: GEM/2023/B/3772028

दिनांक: 16/08/2023

बोली प्रक्रिया से संबंधित विवरण; पात्रता मानदंड; कार्य का विस्तार; वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया और नियम एवं शर्तें निम्नलिखित अनुलग्नकों के अनुसार हैं:

क्रमांक	विवरण	अनुलग्नक
1.	बोलियों का मूल्यांकन और तुलना	अनुलग्नक- क
2.	संविदा प्रदान करना	अनुलग्नक- ख
3.	तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया- मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड	अनुलग्नक- ग
4.	वित्तीय उद्धरण और वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया	अनुलग्नक- घ
5.	कार्य का विस्तार	अनुलग्नक- ङ
6.	अतिरिक्त नियम एवं शर्तें (एटीसी)	अनुलग्नक- च
7.	बोलीदाता के लेटर-हेड पर गैर-वर्जितता का स्व-प्रमाणन	अनुलग्नक- छ
8.	भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड और निःशस्त्र पूर्व सैनिक गार्ड की सूची	अनुलग्नक- ज

2. इच्छुक बोलीदाताओं को GeM पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और GeM पर निर्धारित समय और तारीख के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग से अपलोड करनी होंगी।

3. बोली तैयार करने और उसे GeM पोर्टल पर जमा करने से पहले, बोलीदाता को सभी पात्रता मानदंड, कार्य का दायरा, वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया और नियम और शर्तों को पढ़ना और जांचना चाहिए। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करें और बोली दस्तावेजों के लिए आवश्यक सभी जानकारी या दस्तावेज अपनी बोली के साथ प्रस्तुत करें। आवश्यक जानकारी प्रदान करने या इस बोली दस्तावेजों में शामिल निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां अस्वीकार कर दी जा सकती हैं।

4. GeM पोर्टल पर बोलियों को समय पर अपलोड करने के लिए बोलीदाता पूरी तरह जिम्मेदार है। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण बोली जमा करने के अंतिम दिन उठाए गए किसी भी प्रश्न/मुद्दे के समाधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अंतिम समय में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए GeM पोर्टल का उपयोग करने और बोलियां अपलोड करने के लिए सिस्टम आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पहले ही जांच कर लें।

5. GeM पोर्टल से संबंधित किसी भी मुद्दे या प्रश्न के मामले में, बोलीदाता केवल तकनीकी बोली खोलने से पहले GeM पोर्टल पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ईमेल पर प्रश्नों/शिकायतों/स्पष्टीकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोली खोलने के बाद, अपलोड किए जाने वाले पात्रता मानदंड/दस्तावेजों से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. तकनीकी बोलियों में अनुलग्नक-ग में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें एक पीडीएफ दस्तावेज में संकलित किया जा सकता है। दस्तावेज के सभी पृष्ठों को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और बोली की सामग्री को निर्दिष्ट करने वाला एक सूचकांक दस्तावेज की शुरुआत में पॉप्युलेट किया जाना चाहिए। सूचकांक में उल्लिखित दस्तावेजों पर तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

### **7. गलत घोषणा/दस्तावेज जमा करने पर बोली सुरक्षा (ईएमडी) राशि जब्त हो जाएगी।**

8. बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर भौतिक या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना होगा। यह हस्ताक्षर बोलीदाता की आधिकारिक मुहर के साथ होना चाहिए।

9. तकनीकी बोलियां GeM पर निर्धारित समय और तारीख पर या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन खोली जाएंगी। बोलीदाता अपनी पंजीकृत आईडी का उपयोग करके GeM पोर्टल पर लॉग इन करके निविदा खोलने की स्थिति देख सकते हैं।

10. बोलियां जमा करने और खोलने की तारीख तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक:

क) दिए गए समय के भीतर पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं हुई हैं और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की राय है कि यदि समय बढ़ाया गया तो आगे की बोलियां प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; या  
ख) बोली दस्तावेजों को अन्यथा पर्याप्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है और संभावित बोलीदाताओं द्वारा बोलियों की तैयारी के लिए समय अपर्याप्त प्रतीत होता है जिसके लिए इस तरह के विस्तार की आवश्यकता होती है।

ग) ऐसे मामलों में जहां बोलियां जमा करने का समय और तारीख बढ़ा दी गई है, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा GeM पोर्टल पर बोली दस्तावेजों में एक संशोधन जारी किया जाएगा।

11) 5% की दर से बोली सुरक्षा (ईएमडी) जमा करने की समय सीमा बोली जमा करने की समय सीमा के समान है।

12. वित्तीय बोली अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी बोली में कीमत की पेशकश का कोई भी संकेत बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर देगा।

13. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां तकनीकी मूल्यांकन समिति, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद और GeM पोर्टल प्रक्रियाओं के अनुसार खोली जाएंगी।

14. सीपज़-सेज़ प्राधिकरण बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15. किसी बोलीदाता या भावी बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के मामले में, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, निम्नलिखित सहित उचित उपाय कर सकता है-

- i) खरीद प्रक्रिया से बोलीदाता का बहिष्कार;
- ii) संविदा-पूर्व बातचीत को रद्द करना और बोली सुरक्षा को जब्त करना या नकदीकरण करना;
- iii). खरीद से संबंधित किसी अन्य सुरक्षा या बांड की जब्ती या नकदीकरण;
- iv). खरीद इकाई द्वारा किए गए भुगतान की बैंक दर पर ब्याज सहित वसूली;
- v) प्रासंगिक संविदा को रद्द करना और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की वसूली;
- vi) बोली लगाने वाले को तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी खरीद इकाई की भविष्य की खरीद में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

किसी अधिकारी/कर्मचारी/आउटसोर्स किए गए कर्मचारी द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के मामले में, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उचित विचार-विमर्श के बाद उचित उपाय और कार्रवाई कर सकता है।

16. यह निविदा पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी बोलीदाताओं के लिए खुली है, हालांकि, सीपज़-सेज़ के अधिकारी और कर्मचारी और उनके रिश्तेदार (पति या पत्नी या बच्चे) निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। भ्रष्ट और धोखाधड़ी आचरण में शामिल या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी खरीद इकाई द्वारा सार्वजनिक खरीद में भाग लेने से वंचित बोली लगाने वाले पात्र नहीं होंगे।

17. बोली दस्तावेजों में संशोधन:

क) बोली जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, उचित समझे जाने वाले किसी भी कारण से, संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके बोली दस्तावेजों में संशोधन या संशोधन कर सकता है।

ख) इस तरह के संशोधन/शुद्धिपत्र सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की वेबसाइट या GeM पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे और यह सभी संभावित बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

ग) संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित समय देने के लिए, खरीद इकाई अपने विवेक पर, बोलियां जमा करने की समय सीमा और अन्य संबद्ध समय-सीमाएं बढ़ा सकती है जो उस समय सीमा से जुड़ी हो सकती हैं।

घ) कोई भी बोली लगाने वाला जिसने बोली दस्तावेज डाउनलोड किया है, उसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की वेबसाइट और GeM पोर्टल पर जारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, की जांच करनी चाहिए।

यदि संभावित बोलीदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की वेबसाइट या GeM पोर्टल पर प्रकाशित किसी भी संशोधन को भूल जाते हैं तो खरीद इकाई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

18. बोलियों के मूल्यांकन और संविदा प्रदान करने की सिफारिश से संबंधित जानकारी, बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को, जो बोली प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर संबंधित नहीं है, तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि इसे सभी बोलीदाताओं की जानकारी के लिए GeM पोर्टल पर आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया जाता है। किसी बोलीदाता द्वारा मूल्यांकन या संविदा प्रदान करने के निर्णयों में खरीद इकाई को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

19. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रदर्शन सुरक्षा (ईपीबीजी) की राशि बोलीदाता द्वारा उद्धृत कुल मूल्य का 5% होगी यानी तीन साल के लिए कुल संविदा राशि बोली सुरक्षा की राशि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग आदि) के रूप में होगी।

लाभार्थी का विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम: सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

बैंक और शाखा का नाम: पंजाब नेशनल बैंक, सीपज़

शाखा खाता संख्या: 1253002100028398

आईएफएससी कोड: PUNB0125300

देय: मुंबई

The beneficiary details are:

**Name of the Beneficiary:** SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

**AUTHORITY Bank and Branch Name:** Punjab National Bank, SEEPZ

**branch Account no.:** 1253002100028398

**IFSC Code:** PUNB0125300

**Payable at:** Mumbai

### अनुलग्नक - क

#### (बोलियों का मूल्यांकन और तुलना)

1. अन्य गैर-अनुरूपताएं

क) बोली मूल्यांकन समिति बोली में गैर-अनुरूपताओं को माफ कर सकती है जो कोई महत्वपूर्ण विचलन, आरक्षण या चूक नहीं है और बोली को उत्तरदायी मानती है;

ख) बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले से उचित समय के भीतर आवश्यक जानकारी या दस्तावेज जमा करने का अनुरोध कर सकती है जो ऐतिहासिक प्रकृति के हों, जैसे खातों के लेखापरीक्षित विवरण, कर निकासी प्रमाण पत्र, पैन इत्यादि। बोलीदाता द्वारा दिए गए समय के भीतर अनुरोध का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

ग) निविदा मूल्यांकन समिति बोलीदाता से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर सारहीन गैर-अनुरूपता या चूक को सुधार सकती है।

घ) किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रवेश और स्वीकार्यता पर निविदा मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा और उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि यह लागू होने पर निविदा सूचना के प्रकाशन से पहले ऐतिहासिक दस्तावेजों तक ही सीमित होगा।

## 2. उत्तरदायित्व का निर्धारण

क) बोली मूल्यांकन समिति बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की सामग्री के आधार पर बोली दस्तावेजों के प्रति बोली की प्रतिक्रिया का निर्धारण करेगी;

ख) एक बोली को काफी हद तक उत्तरदायी माना जाएगा यदि वह बिना किसी भौतिक विचलन, आरक्षण या चूक के बोली दस्तावेजों की आवश्यकताओं को पूरा करती है: -

i) "विचलन" बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं से विचलन है;

ii) "आरक्षण" बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ण स्वीकृति से सीमित शर्तों की स्थापना या रोक है; और

iii) "चूक" बोली दस्तावेजों में आवश्यक जानकारी या दस्तावेज का हिस्सा या सभी प्रस्तुत करने में विफलता है।

ग) बोली मूल्यांकन समिति विशेष रूप से बोली के तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी ताकि यह पुष्टि की जा सके कि बोली दस्तावेजों की सभी आवश्यकताओं को बिना किसी भौतिक विचलन, आरक्षण या चूक के पूरा किया गया है;

घ) बोली मूल्यांकन समिति बोली को उत्तरदायी मानेगी यदि यह बोली दस्तावेजों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है, या इसमें मामूली विचलन हैं जो इसमें निर्धारित विशेषताओं, नियमों, शर्तों और अन्य आवश्यकताओं से भौतिक रूप से परिवर्तन या विचलन नहीं करते हैं। बोली दस्तावेज, यानी, कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है, या यदि इसमें त्रुटियां या चूक हैं जिन्हें बोली के सार में किसी भी बदलाव के बिना ठीक किया जा सकता है;

ङ) जो बोलियां प्रतिक्रियाशील नहीं हैं या जिनमें कोई महत्वपूर्ण विचलन है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। गैर-उत्तरदायी घोषित की गई बोलियों को किसी भी आगे के मूल्यांकन से बाहर रखा जाएगा।

## 3. गैर-अनुरूपताएं, त्रुटियां और चूक

क) बशर्ते कि कोई बोली काफी हद तक उत्तरदायी हो, खरीद इकाई, जो कि सीप्ल-सेज प्राधिकरण या अधिकृत प्रतिनिधि है, अनुरोध कर सकती है कि बोलीदाता गैर-अनुरूपताओं को सुधारने के लिए उचित समय के भीतर

आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ीकरण या बोली में चूक के आवश्यकताओं से संबंधित दस्तावेज जमा करें। बोलीदाता द्वारा अनुरोध का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसकी बोली अस्वीकार कर दी जा सकती है।

#### **4. बोलियों का मूल्यांकन**

क) बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन अनुलग्नक-ग- मूल्यांकन और योग्यता मानदंड' के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा; हालांकि, मूल्यांकन समिति की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

ख) वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में जीएसटी शामिल नहीं होगा। आई जीएसटी अधिनियम की धारा 16 एसईजेड को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शून्य-रेटेड के रूप में वर्गीकृत करती है। इसलिए, जीएसटी का कोई उदाहरण नहीं होगा।

#### **5. किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार**

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द/रद्द करने और संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए सीपज़-सेज़ प्राधिकरण रखेगा। ऐसी किसी भी कार्रवाई/बोली प्रक्रिया को वापस लेने के लिए स्पष्ट और तार्किक कारणों का उचित रिकॉर्ड के रद्दीकरण/निरस्त होने की स्थिति में, प्रस्तुत की गई सभी बोलियां और विशेष रूप से बोली प्रतिभूतियां (ईएमडी), तुरंत बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएंगी।

#### **6. अन्य**

क) सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या निजी क्षेत्र को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में अनुभव के साथ प्रमाणित आईएसओ 9001: 2015 और 18788:2015 के साथ वैध पीएसएआरए लाइसेंस वाली निजी सुरक्षा एजेंसियां बोली जमा कर सकती हैं।

ख) संविदा के आवेदक का कार्यालय एमएमआरडीए क्षेत्र में होना चाहिए। उनके साथ सभी पत्राचार केवल इसी कार्यालय पते पर किया जाएगा और इसे संविदा के आवेदक का आधिकारिक पता माना जाएगा।

ग) बोली लगाने वाले को कुशल/अर्ध-कुशल सुरक्षा गार्डों के लिए लागू केंद्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन करना चाहिए।

घ) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि नियोजित भूतपूर्व सैनिक व्यापारी (जैसे नाई/सफाईकर्मी/रसोइया आदि) नहीं हैं।

ड) सशस्त्र गार्ड निम्न चिकित्सा श्रेणी में नहीं होना चाहिए यानी सभी प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अथवा भूतपूर्व अर्द्ध सैनिक बल के कार्मिकों की डिस्चार्ज बुक में दर्ज मेडिकल श्रेणी पर ही विचार किया जाएगा।

च) आउटसोर्स किए गए सशस्त्र गार्ड के पास बंदूक/हथियार के लिए उसके नाम पर वैध बंदूक लाइसेंस होना चाहिए।

छ) बोलीदाता को **अनुलग्नक-ज** पर निर्धारित प्रारूप में 125 पूर्व-सैनिकों और 10 सशस्त्र गार्डों का "नाम, आईडी नंबर और सेवा पुस्तिका" अपलोड करना होगा। यदि निविदा एजेंसी को इस बोली के लिए संविदा प्राप्त होती है, तो इस सूची में से न्यूनतम 40% पूर्व सैनिकों को साइट पर तैनात किया जाएगा। यदि टीईसी अनुशंसा करता है तो इन दस्तावेजों का सत्यापन भी खरीदार द्वारा किया जाएगा।

ज) ग्राहक के पास सबसे कम बोली स्वीकार न करने का अधिकार सुरक्षित है (केंद्रीय वेतन या किसी अन्य अनिवार्य रूप से लागू वेतन/भत्ते के वैधानिक अनुपालन को पूरा नहीं करने की स्थिति में)।

झ) जो बोलीदाता शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करते हैं, उनकी बोली अनुत्तरदायी मानी जाएगी और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ञ) बोली लगाने वाले द्वारा निविदा जमा करने का तात्पर्य यह है कि उसने इस नोटिस और संविदा से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों को पढ़ लिया है और किए जाने वाले कार्य/सेवा के दायरे और विशिष्टताओं और निर्दिष्ट कार्य की प्रकृति के निष्पादन पर असर डालने वाली स्थितियां और स्थानीय स्थितियाँ और अन्य कारक से खुद को अवगत करा लिया है।

ट) अपूर्ण और सशर्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। यदि बोलीदाता बोली दस्तावेज़, एटीसी और शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ को अपलोड नहीं करते हैं तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

## **अनुलग्नक - ख** **(संविदा प्रदान करना)**

### **1. संविदा प्रदान करने का मानदंड**

क) इसकी बोली तकनीकी रूप से योग्य, बिना शर्त और पूर्ण होने के अधीन, सबसे कम दर की पेशकश करने वाले बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

ख) केवल वे बोली लगाने वाले जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाएंगे, उन्हें वित्तीय बोलियां खोलने के लिए योग्य माना जाएगा। सबसे कम उचित प्रस्ताव देने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

ग) एमएसएमई को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि यह एक बड़े और विश्वसनीय कार्यबल की आवश्यकता के साथ एक उच्च जोखिम वाली सेवा है, योग्यता/संविदा प्रदान करने के मानदंड में एमएसई को न तो छूट दी जाएगी और न ही प्राथमिकता दी जाएगी।

घ) एकाधिक L1 के मामले में, GeM पर स्वचालित यादृच्छिक L1 चयन प्रक्रिया का उपयोग करके चयनित बोलीदाता को संविदा प्रदान की जाएगी।

## 2. संविदा प्रदान करने की अधिसूचना

क) बोली की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले, खरीद इकाई सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगी कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। अधिसूचना पत्र (इसके बाद और संविदा और संविदा प्रपत्र की शर्तों में जिसे "स्वीकृति पत्र" कहा जाता है) में स्वीकृत बोली मूल्य निर्दिष्ट किया जाएगा।

ख) जब तक एक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक स्वीकृति पत्र एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगा।

## 3. प्रदर्शन की सुरक्षा राशि

क) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण से स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के अट्ठाईस (28) दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के नाम पर निविदा में निर्दिष्ट राशि का बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा।

बी) सफल बोलीदाता द्वारा उपर्युक्त प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने या संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफलता पुरस्कार को रद्द करने और बोली सुरक्षा (ईएमडी) को जब्त करने/डिबारमेंट के लिए पर्याप्त आधार बन जाएगी। उस स्थिति में सीपज़-सेज़ प्राधिकरण अगले सबसे कम बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान कर सकता है, जिसकी बोली काफी उत्तरदायी है और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए योग्य होने के लिए निर्धारित किया गया है।

ग) प्रदर्शन सुरक्षा (ईपीबीजी) की वैधता सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए होगी।

## 4. संविदा पर हस्ताक्षर

संविदा प्राप्त होने की अधिसूचना के तुरंत बाद, खरीद इकाई सफल बोलीदाता को संविदा भेजेगी। संविदा की प्राप्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता हस्ताक्षर करेगा, तारीख देगा और इसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को वापस कर देगा।

## अनुलग्नक - ग

(तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया- मूल्यांकन और योग्यता मानदंड)

इस अनुलग्नक में वे सभी मानदंड शामिल हैं, जिन्हें तकनीकी मूल्यांकन के चरण में सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है:

### 1. पात्रता मानदंड:

परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल के पैरा 9.15.1 और 9.15.3 के अनुसार, नीचे उल्लिखित पात्रता वाले बोलीदाता बोली के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

क्रमांक	मानदंड	जमा करने वाले दस्तावेज	जेवी के मामले में प्रयोज्यता/ संघ (कंसोर्टियम)
	(A) (क)	(B) (ख)	(C) (ग)
	बोलीदाता को एक फर्म/कंपनी/एलएलपी/कंसोर्टियम संयुक्त उद्यम के रूप में उचित सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक वैध कानूनी इकाई होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 20 19-20 से अस्तित्व में होना चाहिए।	पंजीकरण निगमन प्रमाणपत्र, · नीचे खंड 2(6) में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीएसटीआईएन पंजीकरण (महाराष्ट्र) प्रमाणपत्र, और · फर्म का पैन	· प्रत्येक जेवी/कंसोर्टियम भागीदार के कॉलम "ख" में उल्लिखित दस्तावेज।  · विधिवत नोटरीकृत जेवी/कंसोर्टियम करार
	•• Bidder must be a valid legal entity registered with appropriate government authority in the form of a firm/company LLP/ Consortium Joint Venture and must be in existence since FY 20 19-20.	· · Registration Incorporation certificate, · GSTIN Registration (Maharashtra) certificate in view of the requirement in Clause 2(6) below, and · PAN of firm.	· Documents mentioned in Column "B" of each JV/ Consortium partner.  · Duly notarized JV/ Consortium agreement

### नोट:

i) तकनीकी बोली खोलने से पहले आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित कोई भी संदेह/प्रश्न/स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

ii) तकनीकी बोली खोलने से पहले बोलीदाता द्वारा उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर, बोलीदाता को कोई और अवसर प्रदान किए बिना केवल तकनीकी योग्यता चरण में ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

## 2. आवश्यक योग्यताएं

परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल के 9.15.2 और 9.15.3 के अनुसार, SEEPZ SEZ प्राधिकरण बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भाग लेने वाले बोलीदाताओं की योग्यता का आकलन करेगा:

क्रमांक	मानदंड	जमा करने वाले दस्तावेज़	के मामले में प्रयोज्यता
	<ul style="list-style-type: none"> <li>पिछले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान संबंधित/समान सेवाओं का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम से कम 2,61,00,000/- रुपये होना चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण। [पी एंड एल खाते के नोट्स के साथ]</li> <li>सीए प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि बोली लगाने वाले के कई व्यवसायों के मामले में संबंधित/समान प्रकृति की सेवाओं के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान बोली लगाने वाले के पास सकारात्मक निवल मूल्य है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दोनों साझेदारों को सामूहिक रूप से मानदंडों को पूरा करना चाहिए;</li> <li>बशर्ते कि मुख्य भागीदार को निर्धारित आवश्यकता का कम से कम 50% अकेले पूरा करना होगा और दूसरे भागीदार को निर्धारित आवश्यकता का कम से कम 25% अकेले पूरा करना होगा।</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>बोली लगाने वाले को पिछले चार वर्षों यानी (वित्त वर्ष 2019-20 से जुलाई-2023) में सुरक्षा कार्मिक सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना होगा।</li> <li>तीन समान पूर्ण सेवाएं जिनकी लागत 3,48,00,000/-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रासंगिक अनुभवों का सारांश.</li> <li>क) ग्राहकों द्वारा जारी किए गए समापन प्रमाण पत्र में असाइनमेंट का नाम, कार्य का दायरा, संविदा का मूल्य आदि स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दोनों भागीदारों को सामूहिक रूप से मानदंडों को पूरा करना चाहिए;</li> <li>बशर्ते कि मुख्य भागीदार को निर्धारित आवश्यकता का कम से कम 50% अकेले पूरा करना होगा और दूसरे भागीदार को निर्धारित आवश्यकता का</li> </ul>

	<p>रुपये से कम न हो; या</p> <p>ख) दो समान पूर्ण सेवाएं जिनकी लागत 4,35,00,000/- रुपये से कम न हो; या</p> <p>ग) एक समान पूर्ण सेवा की लागत 6,96,00,000/- रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>पिछले नियोक्ता से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र।</p> <p>ख) चल रही परियोजना के मामले में संबंधित करार/कार्य आदेश और स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कुल भुगतान का कम से कम 80% सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया गया हो (पत्र शीर्ष पर खरीद इकाई द्वारा पुष्टि प्रस्तुत की जानी है)</p>	<p>कम से कम 25% अकेले पूरा करना होगा।</p>
3	<p>•बोलीदाता के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक नेट-वर्थ होनी चाहिए यानी (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22)</p>	<p>•सीए प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि बोली लगाने वाले के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक निवल मूल्य है यानी (वित्त वर्ष 2019-20 से 2021 -22)।</p>	<p>•जेवी/कंसोर्टियम भागीदारों के दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।</p>
4	<p>•पीएसयू और स्वायत्त संस्थाओं सहित केंद्र सरकार के अधीन किसी भी खरीद इकाई द्वारा या राज्य सरकारों या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वर्तमान में प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए।</p>	<p>•वर्तमान में इस मानदंड में उल्लिखित किसी भी संस्था द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाले जाने की स्व-घोषणा।</p> <p>(अनुलग्नक-छ में: गैर-वर्जित का स्व-प्रमाणन)</p>	<p>•प्रत्येक जेवी/कंसोर्टियम भागीदार के दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।</p>
5	<p>•निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005</p>	<p>•परिचालन जिला मुंबई के लिए वैध पीएसएआरए</p>	<p>•जेवी/कंसोर्टियम में मुख्य भागीदार के पास</p>

	की धारा 7(5) के तहत बोलीदाताओं को नियंत्रण प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।	लाइसेंस की प्रति।	आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए।
6	•बोलीदाताओं को ईपीएफ, ईएसआईसी व्यावसायिक कर, एमएलडब्ल्यूएफ और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।	•पंजीकृत प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां	•दोनों भागीदारों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना होगा
7	•बोलीदाता को तैनात किए जाने वाले अपने पास उपलब्ध कम से कम 125 पूर्व सैनिकों और 10 सशस्त्र गार्डों की सूची उपलब्ध करानी होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे- नाम, मोबाइल नंबर, सर्विस बुक नंबर और डिस्चार्ज बुक"  • इसके अलावा, सूची में उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों के आईडी कार्ड या सेवा पुस्तिका और डिस्चार्ज बुक की प्रतियां भी जमा करनी होगी।  ध्यान दें: इस सूची में से न्यूनतम 40% पूर्व सैनिकों को साइट पर तैनात किया जाएगा।	•अनुलग्नक-छ में कम से कम 125 भूतपूर्व सैनिक और 10 सशस्त्र पूर्व सैनिक गार्ड की सूची। •भूतपूर्व सैनिक की प्रतियां; आईडी कार्ड, या, सर्विस बुक एवं डिस्चार्ज बुक	• दोनों भागीदारों को सामूहिक रूप से पूरा करना चाहिए।
8	• आईएसओ प्रमाणपत्र आईएसओ 9001: 2015 और 18788: 2015	• आईएसओ प्रमाणपत्रों की प्रतियां	• किसी भी जेवी/कंसोर्टियम भागीदार के दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
9	• बोलीदाता के पास एमएमआरडीए क्षेत्र में कम से	•व्यवसाय के मुख्य या अतिरिक्त स्थान के रूप में	•जेवी/कंसोर्टियम के किसी भी भागीदार के पास कम

	कम एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए।	पते को दर्शाने वाली जीएसटीआईएन की प्रति।	से कम होगा एमएमआरडीए क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए।
--	--------------------------------------	--	--

### नोट:

- i) तकनीकी बोली खोलने से पहले आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित कोई भी संदेह/प्रश्न/स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
- ii). तकनीकी बोली खोलने से पहले बोलीदाता द्वारा उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर, बोलीदाता को कोई और अवसर प्रदान किए बिना केवल तकनीकी योग्यता चरण में ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- iii). बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी योग्यता के प्रमाण के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में संदेह की गुंजाइश के बिना तथ्यों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त विवरण में आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- iv). प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेज में भ्रम के बिना उनकी सुपाठ्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए।
- v). यदि बोली लगाने वाले की योग्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं है, तो उस संबंध में मूल्यांकन समिति की व्याख्या अंतिम होगी।
- vi). अपूर्ण या अस्पष्ट दस्तावेजों के कारण बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

### अनुलग्नक-घ

#### (वित्तीय उद्धरण और वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया)

1. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन जीएसटी को छोड़कर होगा। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 एसईजेड को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शून्य-रेटेड के रूप में वर्गीकृत करती है। इसलिए, जीएसटी का कोई उदाहरण नहीं होगा।
2. पीडीएफ प्रारूप में वित्तीय बोलियां जमा करने का फॉर्म इन बोली दस्तावेजों के साथ ही GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बोलीदाताओं को एकमुश्त राशि उद्धृत करने की आवश्यकता होती है जिसमें सेवा शुल्क के साथ अनुलग्नक-च के नियम 3 (ज) (vi) के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य अनिवार्य भत्ते शामिल होंगे। पूर्ण संविदा अवधि के दौरान अनुलग्नक-च के 3(ज)(x) में उल्लिखित शर्तों को छोड़कर उद्धृत एकमुश्त राशि के अलावा कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
3. बोलीदाता वेतन घटकों का विवरण प्रदान करेगा अर्थात श्रेणी-वार न्यूनतम वेतन; सभी प्रस्तावित भत्ते और सेवा शुल्क अनुलग्नक-च के नियम 3(एच)(ix) के अनुसार। ब्रेकअप केवल "संविदा प्रदान किए जाने के बाद" अनुपालन उद्देश्य के लिए है। इसका वित्तीय मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4. वित्तीय मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत कुल एकमुश्त राशि पर आधारित होगा जैसा कि ऊपर पैरा (2) में बताया गया है; हालांकि, ऊपर पैरा (3) में उल्लिखित वेतन घटकों का विवरण बोलीदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है।
5. वित्तीय मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, मूल्यांकन समिति वित्तीय बोली खोलने के बाद GeM पोर्टल पर उत्पन्न तुलना का उपयोग करेगी। हालांकि, सिस्टम-जनरेटेड तुलना का उपयोग करके सफल न्यूनतम बोली लगाने वाले की पहचान करने में किसी भी तकनीकी समस्या/एकाधिक एल1 के मामले में, मूल्यांकन समिति जेम नियम और शर्तों (जी टीसी) 3.0 4(Xiii)(i)(ए) के अनुसार रैंडम एल्गोरिदम चलाएगी।

## **अनुलग्नक- ड (कार्य का विस्तार)**

### **1. पृष्ठभूमि**

सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (सीपज़) भारत के मुंबई में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसका भौगोलिक विस्तार लगभग 110 एकड़ है, जिसमें 9 प्रमुख इमारतें (और पट्टे के भूखंडों पर इकाइयों द्वारा निर्मित अन्य निजी इमारतें) और कई निजी इमारतें (लगभग 4 लाख वर्ग फुट की जगह) हैं।

### **2. उद्देश्य और कार्य का विस्तार**

इस सेवा का उद्देश्य सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के परिसर में अचूक सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार उल्लिखित पाली के लिए आवश्यक उपकरण और कर्मचारी प्रदान करेगा।

3. निम्नलिखित सुरक्षा सेवाओं में विभिन्न भूमिकाओं के लिए भर्ती की जा रही है और जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव को दर्शाता है।

## भूमिका और जिम्मेदारियां

भूमिकाएं	वांछित योग्यताएं	जिम्मेदारियां
<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा पर्यवेक्षक (सशस्त्र सुरक्षा; गार्ड संबंधित तैनाती के लिए एसओ और सुरक्षा पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सेना, नौसेना, आईएफ, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस बलों से सेवानिवृत्त जेसीओ या समकक्ष होना चाहिए</li> <li>• सुरक्षा संबंधी मामलों, औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।</li> <li>• तैनात सुरक्षा कर्मियों पर आदेश और नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए।</li> <li>• पीएसएआरए अधिनियम और नियमों के अनुसार शारीरिक मानक और चिकित्सा फिटनेस होना चाहिए।</li> <li>• न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए।</li> <li>• अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।</li> <li>• 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</li> <li>• निगरानी और अवलोकन कौशल होना चाहिए।</li> <li>• प्रभावशाली रिपोर्टिंग कौशल होना चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चौबीसों घंटे काम की शिफ्ट।</li> <li>• संगठन में सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की देखरेख करने के साथ-साथ सुरक्षा गार्डों और अन्य सुरक्षा से संबंधित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सलाह देना और उनकी सहायता करना आवश्यक होना चाहिए।</li> <li>• जब भी आवश्यक हो, अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करने, अगवानी करने, मिलने और पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ संपर्क करने की प्रोटोकॉल गतिविधियों को पूरा करने या पर्यवेक्षण करने में सक्षम होना चाहिए।</li> <li>• परिसर में किसी भी अनधिकृत प्रवेश, डकैती, चोरी आदि से बचाने का कार्य करना।</li> <li>• किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को निजी सुरक्षा प्रदान करना।</li> <li>• व्यवस्था बनाए रखने और उपस्थिति स्थापित करने के लिए नियमित रूप से परिसर में गश्त करना।</li> </ul>

•सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा संचालन और प्रक्रियाओं का कार्यसाधक जान होना चाहिए।

•सुरक्षा से संबंधित केंद्र और राज्य कानूनों और विनियमों का जान होना चाहिए।

•संपत्ति में वाहनों या लोगों के प्रवेश की निगरानी करें और उन्हें अधिकृत करना।

•अनियमितताओं की रिपोर्ट करके नुकसान और क्षति प्रस्तुत करना और नीति और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वालों को सूचित करना। व्यवधानों या गैरकानूनी कृत्यों की पहचान करने के लिए समय-समय पर निगरानी कैमरों की जांच करना।

•संदिग्ध गतिविधि या संपत्ति के लिए लोगों की जांच करना।

•स्थिति की जांच और आकलन करके अलार्म का जवाब देना।

निःशस्त्र महिला सुरक्षा गार्ड

- सुरक्षा संबंधी मामलों, औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।
- पुलिस और होम गार्ड में सेवा दे चुके व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए।
- हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- स्वस्थ शरीर और व्यक्तित्व होना चाहिए।
- पीएसएआरए अधिनियम और नियमों के अनुसार शारीरिक मानकों और चिकित्सा फिटनेस की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
- (महाराष्ट्र निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन नियम, 2007 के अनुसार-)
- न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष होना चाहिए।

- चौबीस घंटे शिफ्ट में काम करना
- परिसर में किसी भी अनधिकृत प्रवेश, डकैती, चोरी आदि से बचाने का कार्य करना।
- किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को निजी सुरक्षा प्रदान करना।
- जिस एजेंसी में वह कार्यरत है, उसकी गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान देखे गए किसी भी कानून के उल्लंघन को पर्यवेक्षक के ध्यान में लाना।
- सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

<p>बैगेज इंस्पेक्टर (निःशस्त्र सुरक्षा पुरुष गार्ड द्वारा- आवश्यकतानुसार)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• निःशस्त्र पुरुष/महिला सुरक्षा गार्ड की वांछित योग्यताओं के साथ बैगेज स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान और बैगेज स्क्रीनिंग उपकरण का उपयोग करने का अनुभव होना चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चौबीसों घंटे शिफ्ट में काम करना।</li> <li>• परिसर के अंदर और बाहर लाए जाने वाले बैग या पैकेज और वस्तुओं की स्क्रीनिंग करना।</li> <li>• सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करना।</li> <li>• अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान देखे गए किसी भी कानून के उल्लंघन को पर्यवेक्षक के ध्यान में लाना।</li> </ul> <p>तथा,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यदि बैगेज स्कैनर पद के अलावा अन्यत्र तैनात किया गया है तो निःशस्त्र पुरुष/महिला सुरक्षा गार्ड के सभी कर्तव्य निभाना।</li> <li>• सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• सीसीटीवी ऑपरेटर (आवश्यकता के आधार पर निःशस्त्र सुरक्षा पुरुष गार्ड)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• निगरानी की पृष्ठभूमि और निःशस्त्र पुरुष/महिला सुरक्षा गार्ड की वांछित योग्यताओं के साथ-साथ सीसीटीवी प्रणालियों के माध्यम से निगरानी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चौबीसों घंटे शिफ्ट में काम करना</li> <li>• सीसीटीवी संचालन से संबंधित दस्तावेजों के रखरखाव सहित सभी सीसीटीवी निगरानी सुरक्षा, सतर्कता के लिए समग्र रूप से जिम्मेदारी और</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• निःशस्त्र पुरुष/महिला सुरक्षा गार्ड के सभी कर्तव्य, यदि सीसीटीवी ऑपरेटर पद के अलावा तैनात किए गए हों।</li> <li>• सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
--	--	--

## अतिरिक्त जिम्मेदारियां

ऊपर बताई गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अलावा निम्नलिखित भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियों का हिस्सा होंगी।

(i) परिसर में लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना, चोरी एवं डकैती और जान-माल की आग आदि से सुरक्षा प्रदान करना।

(ii) प्रवेश/निकास बिंदुओं की भौतिक सुरक्षा, कार्यालयीन अवधि के दौरान और उसके बाद आगंतुकों की तलाशी/जांच की जिम्मेदारी, आगंतुकों की स्क्रीनिंग/निर्देशन करना। सामान्य एवं विशेष अवसरों पर आगंतुक प्रबंधन करना। आगंतुकों को संबंधित अधिकारियों/अधिभोगियों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करना और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करना। परिसर के अंदर और बाहर व्यक्तियों/वाहनों की पहुंच को नियंत्रित करना और अवांछित आगंतुकों/सेल्समैन के प्रवेश को विनियमित करना और आगंतुक रजिस्टर का रखरखाव करना।

(iii) गेट पास की जांच करना, सामग्री के प्रवेश और निकास की अनुमति देना और तदनुसार वाहनों के प्रवेश और निकास को विनियमित करना। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित जांच के साथ पुरुषों और सामग्रियों, वाहनों आदि की अंदर और बाहर की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाए रखना।

(iv) पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामान्य क्षेत्रों और परिवेशों में गश्त और सुरक्षा करना। गाय, कुत्ते आदि जैसे आवारा जानवरों के प्रवेश को रोकना। स्थलों पर चौबीसों घंटे गश्त करना। यह सुनिश्चित करना कि बूम बैरियर और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की निगरानी की जाती है और वे चालू स्थिति में हैं।

(v) इमारत की आपातकालीन निकासी के दौरान रहने वालों की सहायता करना। दुर्घटनाओं और बम की धमकियों जैसे संकट प्रबंधन के दौरान प्रभावी भागीदारी निभाना। आपातकालीन स्थिति की तैयारी

के लिए लगातार अभ्यास में शामिल होना। आपात्कालीन एवं आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन को संभालना।

(vi) लिफ्टों में फंसे होने पर यात्रियों का बचाव अभियान, किसी भी दुर्घटना या चिकित्सा आपात स्थिति में यात्रियों की सहायता करना। आग लगने की स्थिति में स्थितियों को संभालना।

(vii) आपदा और आपात स्थिति के मामले में उपयुक्त एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ उत्कृष्ट संपर्क और संपर्क बनाए रखना।

(viii) किसी भी अपराध या हिंसा के मामले में शिकायत/एफआईआर दर्ज करना और किसी भी संबंधित मामले में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जांच में सहायता करना।

(ix) एजेंसियां अपने कर्मियों की तैनाती की निगरानी के लिए सीपज़ सेज़ प्राधिकरण में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगी और सुरक्षा अधिकारी और सीपज़ सेज़ प्राधिकरण से उसके किसी अधिकृत व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार सौंपे गए सुरक्षा कार्य की देखभाल करेंगी। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा उक्त पर्यवेक्षक के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा और इसकी लागत सेवा प्रदाता द्वारा ही वहन की जाएगी।

निर्दिष्ट भूमिकाओं के प्रदर्शन के संबंध में कोई अन्य जिम्मेदारी, हालांकि ऊपर विशेष रूप से कवर नहीं की गई हैं, को भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

## **अनुलग्नक- च**

### **[अतिरिक्त नियम एवं शर्तें (एटीसी)]**

इस अनुभाग में GeM पर उपलब्ध अतिरिक्त नियम और शर्तें (एटीसी) शामिल हैं, हालांकि, GeM के सामान्य नियम और शर्तें (जीटीसी) और विशेष नियम और शर्तें सेवा प्रदाता पर भी लागू होती हैं। जहां भी, द्वारा जोड़े गए एटीसी और GeM के जीटीसी और एसटीसीमें विरोधाभास है, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की व्याख्या अंतिम होगी।

## 1. सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के दायित्व

(i) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण परिसर में 2 से 3 दिनों के लिए संविदा के तहत सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए जाने वाले कर्मियों द्वारा आवश्यक सुरक्षा सेवाओं का बुनियादी प्रशिक्षण/परिचय देगा और इस अवधि को संविदा के तहत भुगतान के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के कर्मियों द्वारा संचालित शिफ्ट के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ii) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण आवश्यक बुनियादी ढांचा, एक्स-रे बैगोज स्क्रीनिंग जैसे उपकरण प्रदान करेगा और यदि ऐसी स्क्रीनिंग शामिल है, तो सुरक्षा कर्मियों को अपने कार्य करने के लिए फर्नीचर आदि की आवश्यकता होगी। हालांकि, वर्दी, टॉर्च, लाठी, हथियार, बैज आदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(iii) सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के नामित अधिकारियों की सहमति से होगी और नामांकित अधिकारी सेवा प्रदाता के साथ निकट समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे और सेवा प्रदाता व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी करेगा और इसके इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण तैनाती मानचित्र, गश्ती मार्ग, तैनाती के लिए समय स्लॉट साझा करेगा और सेवा प्रदाता द्वारा पालन के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल और उसके गैर-अनुपालन को सेवा स्तर समझौते के उल्लंघन के रूप में समझा जाएगा। इसके अलावा, सेवा प्रदाता तैनाती मानचित्र, गश्ती मार्ग, तैनाती के लिए समय स्लॉट और एक मानक संचालन प्रोटोकॉल को गोपनीय रखेंगे।

(v) सीपज़-सेज़ प्रशासन एक संविदा के प्रबंधन ढांचे को अधिसूचित करेगा जिसमें संविदा की शर्तों के पालन के लिए सेवा प्रदाताओं के प्रबंधन की एक श्रेणीबद्ध संविदा निगरानी होगी और एसएलए की निगरानी, मूल्यांकन और भुगतान मील के पत्थर पूर्व-सहमत दरों के उद्धरण, स्वीकृत और दिए गए संविदा के अनुसार दिखाई देंगे। संविदा के उचित प्रावधान के अनुसार दंडात्मक जुर्माना सभी एसएलए की पुष्टि करने में विफलता पर लगाया जाएगा क्योंकि विक्रेता/सेवा प्रदाताओं के संविदा समझौते के अनुसार एसएलए में कमी होने पर ऐसे संघर्ष प्रबंधन की पूर्व-निर्धारित आवधिकता होगी।

## 2. सेवा प्रदाता के दायित्व

### क) सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कर्मियों का रोजगार:

- (i) सशस्त्र गार्ड को चिकित्सा श्रेणी में निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए अर्थात् शारीरिक रूप और मानसिक रूप से सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अथवा भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों की डिस्चार्ज बुक में दर्ज मेडिकल श्रेणी पर ही विचार किया जाएगा।
- (ii) आउटसोर्स किए गए सशस्त्र गार्ड के पास बंदूक/पिस्तौल के लिए उसके नाम पर वैध बंदूक लाइसेंस होना चाहिए।
- (iii) टेंडरिंग एजेंसी को 125 पूर्व सैनिकों और 10 सशस्त्र गार्डों के "नाम, आईडी नंबर और सर्विस बुक" अपलोड करना होगा। यदि निविदा एजेंसी को इस बोली के लिए संविदा मिलती है, तो इस सूची में से न्यूनतम 40% पूर्व सैनिकों को साइट पर तैनात किया जाएगा। कोई संदेह होने पर इन दस्तावेजों का सत्यापन सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा भी किया जाएगा।
- (iv) सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता किसी भी ऐसे व्यक्ति को तब तक नियोजित या संलग्न नहीं करेंगे जो कि वह भारत का नागरिक न हो या किसी अन्य देश का नागरिक न हो, जैसा कि लागू सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार नियोजित करने की अनुमति है।
- (v) सेवा प्रदाता केवल ऐसे सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेंगे जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु के न हों और किसी भी मामले में, सुरक्षा पर्यवेक्षक की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसियां केवल ऐसे सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेंगी जिन्होंने सेवा प्रदाता को उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतुष्ट किया हो और निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा किया हो। सेवा प्रदाता केवल ऐसे भौतिक मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेंगे जो पीएसएआरए 2005 और आज की तारीख में संशोधित नियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को प्रासंगिक नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।
- (vi) सामान निरीक्षकों और सीसीटीवी ऑपरेटरों को आवश्यकता के आधार पर निःशस्त्र पुरुष सुरक्षा गार्डों में से तैनात किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के समन्वय से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक/प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
- (vii) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिसे संघ, राज्य पुलिस संगठन, केंद्र या राज्य सरकारों या किसी भी सशस्त्र बल में सेवा करते समय कदाचार, या नैतिक अधमता के आधार पर बर्खास्त या हटाया गया हो। किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी को सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित या संलग्न किया जाएगा।
- (viii) तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत्त को सेवा प्रदाता द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से सत्यापित किया जाएगा और इस संबंध में एक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया जाना है और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता प्रावधानों का अनुपालन करता है।

(ix) सेवा प्रदाता अपने सुरक्षाकर्मियों को साक्षात्कार के बाद सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त करने, विधिवत बायोडेटा (सीवी) और सुरक्षा कर्मियों के पुलिस सत्यापन विवरण जमा करने के बाद ही तैनात करेगा। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाएगा और सेवा प्रदाताओं को अपने सीवी के साथ ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(x) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को किसी भी सुरक्षाकर्मियों को उचित कारण के साथ हटाने का अधिकार होगा, जिसे उचित तर्क या अन्यथा के साथ अवांछनीय माना जाता है और इसी तरह सेवा प्रदाता किसी भी सुरक्षा कर्मियों को पूर्व सूचना के साथ हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, आपातकालीन स्थितियों से छूट दी गई।

(xi) सेवा प्रदाता, हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात सुरक्षाकर्मियों उपरोक्त कार्य के दायरे में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(xii) सेवा प्रदाता, हर समय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (वॉच एंड वार्ड के लिए) द्वारा अधिसूचित और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू न्यूनतम मजदूरी नियमों का पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस असाइनमेंट के तहत प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उस समय लागू न्यूनतम वेतन के अनुरूप है और सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए और शर्त "3(एच)" के संदर्भ में इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(xiii) अनुलग्नक-एफ में" इससे अधिक भुगतान किया जाने वाला कोई भी शुल्क सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

(xiii) पॉश अधिनियम कहता है कि 10 (दस) या अधिक कर्मचारियों वाला कोई भी संगठन लिखित आदेश द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा। पॉश अधिनियम को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है और इस तरह महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं से किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समयबद्ध और अत्यंत गोपनीय तरीके से समाधान प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता के पास निर्धारित तरीके से एक आंतरिक शिकायत समिति होगी।

## **ख) सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखा जाने वाला रजिस्टर**

- (i) सेवा प्रदाता एक रजिस्टर/डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए रखेगा जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, उसके नियंत्रण के तहत सुरक्षा कर्मियों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, तस्वीरें और वेतन और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जो पीएसएआरए अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। ग्राहक एक एचआरएमएस एप्लिकेशन या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान कर सकता है, जिसमें निर्देशानुसार सभी सुरक्षा कर्मियों का विवरण ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वेतन, श्रम आदेश अनुपालन उपस्थिति आदि सहित होस्ट किया जाएगा।
- (ii) सेवा प्रदाता एक रजिस्टर/डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए रखेंगे, जिस दिन सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ सुरक्षा कर्मियों के रोजगार को दर्ज किया जाएगा और इसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। माह के दौरान लगे कार्मिकों का तैनाती विवरण बताते हुए शिफ्टवार उपस्थिति सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को दर्शाया जाये। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सेवा प्रदाता से ऐसी जानकारी मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।
- (iii) सेवा प्रदाता कानून के तहत सभी वैधानिक रजिस्टर/डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए रखेगा और मांग पर इसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

## **ग) फोटो पहचान पत्र और अन्य उपकरण जारी करना**

- (i) सेवा प्रदाता द्वारा तैनात प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को सेवा प्रदाता द्वारा एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- (ii) फोटो पहचान पत्र ऐसे फॉर्म में जारी किया जाएगा जो सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पीएसएआरए (PSARA) अधिनियम और नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपने साथ जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और इसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।
- (iv) प्रत्येक सुरक्षाकर्मी हाथ में मशाल और हाथ में डंडा लेकर चलेगा।
- (v) प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को मानसून के मौसम के दौरान रेनकोट और गम बूट उपलब्ध कराए जाएंगे।

## **घ) लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज**

- (i) सेवा प्रदाताओं के पास निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम (पीएसएआरए) के प्रावधान के तहत संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालन के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए जहां सेवाएं दी जा रही हैं। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक लाइसेंस/पंजीकरण/प्रति मिशन संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध हैं, ऐसा न करने पर उचित दंड लगाया जाएगा।

(ii) इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सेवा प्रदाता द्वारा सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) सेवा प्रदाता को संविदा श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अपने हिस्से और लागत पर अनुपालन करना होगा। आवश्यकता प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगठन के लिए नियुक्त व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(iv) सेवा प्रदाता कानून के तहत लाइसेंस प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक रजिस्ट्रों को बनाए रखेगा और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण की मांग पर इसे प्रस्तुत करेगा।

(v) सेवा प्रदाता राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित योग्यता, एनसीसी, अग्निशमन प्रशिक्षण आदि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

### **(ड) प्रशिक्षण**

सेवा प्रदाता के पास पीएसएआरए 2005 के तहत मान्यता प्राप्त अपनी स्थापना/सेटअप/तंत्र/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए या पीएसएआरए 2005 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ गठजोड़ करना होगा ताकि उनके साथ सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके ताकि उनके देनदारियों और जिम्मेदारियों का सही और संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। केवल ऐसे सुरक्षाकर्मियों को ही संविदा के तहत तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और जिनके पास प्रमाण पत्र हैं, प्रशिक्षण पीएसएआरए अधिनियम में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के लिए और अधिनियम में निर्धारित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होगा।

### **(च) रिपोर्ट**

सभी आवश्यक रिपोर्ट और अन्य जानकारी आवश्यकतानुसार तुरंत प्रदान की जाएगी और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

### **(छ) तैनात सुरक्षा कर्मियों का आचरण**

(i) सुरक्षाकर्मी किसी भी रूप में कोई आभार या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे

(ii) सेवा प्रदाता के साथ उनके रोजगार समझौते की शर्तों के तहत सुरक्षा कर्मचारी सेवा प्रदाता के अलावा और उसकी ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार के लिए या अन्यथा कोई पेशेवर या अन्य कार्य नहीं करेंगे।

(iii) सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त कर्मियों को सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ व्यवहार करते समय बहुत ही सुखद व्यवहार के साथ बेहद विनम्र होना चाहिए और अत्यधिक अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों की शिकायतों के मामले में या सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के प्रतिनिधि के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा यदि

व्यक्ति संतोषजनक ढंग से या अन्यथा काम नहीं कर रहा है। सेवा प्रदाता को ऐसे सभी मामलों में उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी।

(iv) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी किसी भी कर्मचारी संघ और एसोसिएशन में भाग नहीं लेंगे।

(v) तैनात व्यक्तियों को, अपने काम के दौरान, कुछ गोपनीय दस्तावेजों और सूचनाओं की जानकारी होगी, जिन्हें उनसे किसी तीसरे व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए, उन्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता के साथ-साथ तैनात व्यक्ति भी लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, इसके अलावा संविदा के उल्लंघन के लिए भी कार्रवाई की जाएगी।

## **(ज) वर्दी और बैज**

(i) सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सुरक्षाकर्मी जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं उसे दर्शाने वाला हथियार बैज, अपनी भूमिका या कार्य को दर्शाने के लिए कंधे या छाती पर बैज लगाएंगे। सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को सीटी की डोरी के साथ सीटी लगानी होगी और उसे बायीं जेब में रखना होगा। सुराख और लेस वाले जूते, हेडगियर जिस पर सेवा प्रदाता का विशिष्ट चिह्न भी लगा हो।

(ii) सक्रिय ड्यूटी के दौरान सुरक्षा कर्मी द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे कि वे उसके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। विशेष रूप से वे न तो बहुत अधिक कसे होंगे और न ही इतने ढीले होंगे कि उनके हिलने-डुलने या अंगों को मोड़ने में बाधा उत्पन्न हो।

(iii) सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपने साथ एक नोटबुक और पेन/पेंसिल रखेगा।

(iv) प्रत्येक सुरक्षाकर्मी एक अच्छी गुणवत्ता वाली टॉर्च और एक डंडा लेकर चलेगा।

(v) सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक सुरक्षा कर्मी कमर के स्तर से ऊपर सबसे बाहरी परिधान पर जारी एक फोटो-पहचान पत्र पहनेगा और अपने शरीर पर स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करेगा।

(vi) वर्दी के पैरामीटर पीएसएआरए 2005 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

## **(झ) सेवा प्रदाता द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण**

(i) सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता और सीप्ल-सेप्ल प्राधिकरण के बीच सहमत प्रचलित असाइनमेंट निर्देशों के अनुसार तैनात सुरक्षा कर्मियों के सही प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं को तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

- (ii) सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा दी गई आवश्यकता के अनुसार पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा। पर्यवेक्षक को सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- (iii) सेवा प्रदाता यहां बताए गए निर्देशों के अनुसार और ऐसे निर्देशों के अनुसार प्रशासन, अधीक्षण और व्यवस्था के संचालन से जुड़ी ऐसी सभी सुरक्षा सेवाओं, कृत्यों, मामलों और चीजों को करेगा और निष्पादित करेगा, जिसे विभाग समय-समय पर जारी कर सकता है और जिस पर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हुई है।
- (iv) सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को सौंपी गई सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (v) सेवा प्रदाता एक समन्वयक को नामांकित करेगा जो सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ नियमित बातचीत के लिए जिम्मेदार होगा ताकि तैनात किए गए व्यक्तियों की सर्वोत्तम सेवाएं बिना किसी व्यवधान के प्राप्त की जा सकें।

### **(ज) काम के घंटे और रिपोर्टिंग समय**

- (i) सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दस्तावेज/निर्देश एकत्र करने के लिए शिफ्ट शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के सुरक्षा कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा, और सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। ।
- (ii) आउटसोर्स कर्मचारियों के काम के घंटे और दिन संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के मौजूदा लागू नियमों के अनुसार होंगे। हालांकि, यदि आवश्यक हो और मांग के आधार पर उन्हें छुट्टियों पर भी काम करना पड़ता है।
- (iii) तैनात सुरक्षा कर्मियों के छुट्टी लेने की स्थिति में और यदि सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो तो सेवा प्रदाता द्वारा उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iv) तैनात सुरक्षा कर्मियों के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, सेवा प्रदाता तैनात सुरक्षा कर्मियों को तुरंत बदल देंगे।
- (v) सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से पहले सीपज़, एसईजेड प्राधिकरण और सेवा प्रदाता के बीच काम की पाली (दिन और रात की पाली शामिल) पर पारस्परिक रूप से सहमति होगी।
- (vi) कर्मचारियों की उपस्थिति सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर और/या सीपज़-सेज़ प्राधिकरण में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में दर्ज की जाएगी। यदि बायोमेट्रिक प्रणाली पर जोर दिया जाता है, तो इसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाना है और सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान की जानी है।

(vii) तैनात किए गए व्यक्तियों को सौंपे गए कार्य को संभालते समय विनम्र, सौहार्दपूर्ण और कुशल होना चाहिए और उनके कार्यों से सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए और संगठन या कार्यालय की छवि को बढ़ाना चाहिए। सेवा प्रदाता तैनात व्यक्तियों की ओर से किसी भी अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार होगा।

### **(ट) शारीरिक मानक और चिकित्सा जांच**

(i) यदि तैनात सुरक्षा कर्मी पीएसएआरए अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करते हैं तो वे नियोजित या नियोजित होने के लिए पात्र होंगे। इसलिए सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी तैनात सुरक्षाकर्मी पीएसएआरए अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी को एजेंसी के रोल में शामिल होने के समय अपने कर्मचारियों की मेडिकल जांच करानी चाहिए ताकि उन्हें सौंपी गई नौकरी के लिए उनकी फिटनेस सुनिश्चित की जा सके और पीएसएआरए के तहत निर्धारित वार्षिक मेडिकल जांच की जानी चाहिए। इसका रिकार्ड सुरक्षा कर्मियों की निजी फाइल में रखा जाएगा। यदि सीपज़-सेज़ प्राधिकरण अपने संगठन में तैनाती के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र की एक प्रति की मांग करता है तो उसे दिया जाएगा।

(ii) तैनात सुरक्षा कर्मियों को किसी भी संक्रामक या संक्रामक बीमारी के सबूत से मुक्त होना चाहिए। वह किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जिसके सेवा से बढ़ने की संभावना हो या जिससे वह सेवा के लिए अयोग्य हो जाए या जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे।

(iii) सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर्मचारियों के संबंध में कोई चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार के चिकित्सा दावे पर सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) तैनात सुरक्षा कर्मियों को सेवा अवधि के दौरान या साइट पर या साइट के पास या किसी भी सुविधा, साइट, भवन, शिविर या सीपज़-सेज़ परिसर पर धूमपान करने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें नशीले पेय पदार्थ भी शामिल हैं। इतना ही, सेवा प्रदाता इस शर्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सीमा तक प्रभाव और अधिकार का प्रयोग करेगा।

### **(ठ) लागू छुट्टियां**

(i) सभी 7 दिनों के लिए सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा कर्मियों को एक महीने में कम से कम 4 छुट्टियां दी जाएं।

(ii) निर्दिष्ट छुट्टियों के अलावा, जैसा लागू हो, छुट्टी को बिना वेतन छुट्टी (एलडब्ल्यूपी) के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए बिल की गई राशि में सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कटौती की

जाएगी यदि कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किया जाता है, इसके अलावा विकल्प प्रदान न करने के लिए कोई जुर्माना भी लगाया जाएगा जैसा कि एसएलए में दर्शाया गया है।

(iii) साप्ताहिक आराम का दिन - "न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम, 1950" के अनुसार, इस नियम के प्रावधानों के अधीन, अनुसूचित रोजगार में एक कर्मचारी जिसके संबंध में अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की गई हैं, को हर हफ्ते आराम का एक दिन दिया जाएगा (इसके बाद इसे "आराम का दिन" कहा जाएगा) आमतौर पर रविवार होगा, लेकिन नियोक्ता उस अनुसूचित रोजगार में किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के किसी अन्य दिन को आराम के दिन के रूप में तय कर सकता है, बशर्ते कि कर्मचारी ने उसी नियोक्ता के तहत अनुसूचित रोजगार में लगातार अवधि तक लिए काम किया हो जोकि छह दिन से कम न हो: इसके अलावा, बशर्ते कि कर्मचारी को आराम के दिन के रूप में निर्धारित दिन और परिवर्तन से पहले आराम के दिन में किसी भी बाद के बदलाव के बारे में, निर्दिष्ट स्थान पर रोजगार के स्थान पर इस संबंध में पर्यवेक्षक द्वारा उस आशय का एक नोटिस प्रदर्शित करके सूचित किया जाएगा।)

### 3. विशेष नियम एवं शर्तें

#### (क) कानूनी स्थिति

(i) सेवा प्रदाता को प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस करार के तहत अपने अधिकारों और देनदारियों को किसी भी अन्य एजेंसी या संगठन को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्थानांतरित करने, सौंपने, गिरवी रखने या फिर से उप संविदा पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, सेवा प्रदाता तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों के संबंध में विभिन्न नियमों और अधिनियमों के अर्थ में "नियोक्ता" होगा। सेवा प्रदाता द्वारा तैनात व्यक्तियों का सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के विरुद्ध नियोक्ता और कर्मचारी संबंध जैसा कोई दावा नहीं होगा।

(iii) सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति मुद्रा के दौरान या संविदा की समाप्ति के बाद नियमित/पुष्टि किए गए कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे और न ही इसके हकदार होंगे।

(iv) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी तरह से कर्मचारी या सेवा प्रदाता द्वारा लागू किसी भी नियम के उल्लंघन और/या किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कर्मचारियों के साथ-साथ सेवा प्रदाता वर्तमान में लागू प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और समय-समय पर लागू किए जा सकते हैं, जिसके लिए सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन का दायित्व केवल सेवा प्रदाता पर होगा।

## (ख) क्षतिपूर्ति

- (i) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी तरह से कर्मचारी या सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन और/या उस समय लागू किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ii) कर्मचारी और सेवा प्रदाता वर्तमान में लागू प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और समय-समय पर लागू किए जा सकते हैं, जिसके लिए सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन का दायित्व केवल सेवा प्रदाता पर होगा।
- (iii) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सेवा प्रदाता द्वारा अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान तैनात किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वित्तीय हानि या किसी चोट के लिए, या किसी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

## (ग) प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित जानकारी का खुलासा

- (i) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी ऐसे रोजगार के दौरान उसके द्वारा अर्जित किसी भी जानकारी को उस कार्य के संबंध में प्रकट नहीं करेगा जो उसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या के अलावा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है जिसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण निर्देशित करता है। हालांकि, ऐसे खुलासे जो पीएसएआरए अधिनियम के तहत आवश्यक हो सकते हैं या पुलिस द्वारा किसी पूछताछ या जांच के संबंध में या किसी प्राधिकरण या कानून की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उन्हें इससे छूट दी जाएगी।
- (ii) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सभी सुरक्षा कर्मी हालांकि उस एजेंसी की गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस या ऐसे प्राधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। यदि कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी सुरक्षा कर्मी द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन देखा जाता है, तो वह इसे वरिष्ठ के ध्यान में लाएगा, जो बदले में सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं पुलिस को सूचित करेगा।

## (घ) सामग्री का स्वामित्व और प्रतिधारण

- (i) सीपज़-सेज़ प्राधिकरण इस संविदा के निष्पादन के संबंध में सेवा प्रदाता को प्रदान की गई सामग्री और दस्तावेजों, यदि कोई हो, का स्वामी होगा। सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सामग्री या दस्तावेज का भंडारण, प्रतिलिपि, वितरण या रखरखाव नहीं करेगा।
- (ii) सेवा प्रदाता, किसी भी कारण से इस समझौते को समाप्त करने पर, या सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर, जो भी पहले हो, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाता को प्रदान की गई किसी भी और सभी सामग्री और जानकारी को वापस कर देगा, जिसमें कोई प्रतियां या प्रतिलिपियां, हार्डकॉपी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही।
- (iii) सेवा प्रदाता या प्रदान किया गया सुरक्षा कर्मी किसी भी सामग्री, सूचना, आवेदन विवरण, उपकरण या किसी अन्य सामान/सामग्री को, जो सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के स्वामित्व में है, सीपज़-सेज़

प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीपज़-सेज़ प्राधिकरण परिसर से बाहर नहीं ले जाएगा और/या प्रसारित नहीं करेगा।

### **(ड) परिवर्तन:**

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के नोडल अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी कार्य के दायरे में किसी भी बदलाव के लिए पूछने में सक्षम होंगे। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सुरक्षा कर्मियों की संख्या के संबंध में आदेश की मात्रा को 25% तक बढ़ाने का हकदार है और इसी तरह सुरक्षा कर्मियों को 25% तक कम करने में भी सक्षम होगा। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

### **(च) परिवहन:**

सुरक्षा कर्मियों के लिए आवागमन की व्यवस्था करने और किसी भी वस्तु के परिवहन की जिम्मेदारी जो सेवा प्रदाता के दायरे में है और परिवहन की आवश्यकता है, सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

### **(छ) बीमा आवश्यकताएं:**

सेवा प्रदाता दुर्घटनाओं आदि के संबंध में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए किसी भी बीमा आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार होंगे। कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा कर्मियों की किसी भी चोट या मृत्यु के कारण किसी भी मुआवजे या क्षति के दावे पर सीपज़-सेज़ प्राधिकरण बीमा आवश्यकताओं द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी संपत्ति या परिसर के लिए सुरक्षा की पेशकश की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की होगी।

### **(ज) भुगतान की शर्तें**

(i) सेवा प्रदाता एजेंसी अपने खाते से लगे सहायक कर्मचारियों के लिए भुगतान के महीने के 15वें दिन के भीतर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के शेयरों का ईपीएफ भी जमा करेगी।

(ii) ईपीएफ में नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से दोनों की जमा राशि का प्रमाण अगले महीने के 15 दिनों के अंत तक सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) सेवा प्रदाता चेक नंबर या बैंक हस्तांतरण विवरण और तारीख और बैंक खाते के साथ तैनात व्यक्तियों को महीने के लिए भुगतान की गई राशि (मजदूरी / भत्ते / सेवा शुल्क अलग से) का विवरण प्रस्तुत करेगा, जहां से भुगतान किया गया है। सेवा प्रदाता को सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा गार्डों को भुगतान किए गए वेतन/भत्ते/सेवा शुल्क के समर्थन में बैंक विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) सेवा प्रदाता सहायक कर्मचारियों को टेक होम पारिश्रमिक के समय पर भुगतान और ईपीएफ (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसा न करने पर

एसएलए के अनुसार उचित दंड लगाया जाएगा और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।

(v) सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रसीद शीट के साथ मासिक चालान की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसमें दाखिल करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर ईपीएफ के संबंध में प्रत्येक किराए के कर्मचारी के योगदान का विवरण दर्शाया जाएगा। किसी भी रिटर्न के मामले में, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के रूप में लागू होने पर भी दाखिल किया जाना चाहिए और प्रतिलिपि सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(vi) सेवा प्रदाता को भुगतान मासिक आधार पर, महीने के अंत के बाद, आदेश के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं की वास्तविक अवधि के आधार पर किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को किए गए भुगतान का मासिक प्रमाण पत्र खरीद इकाई को जमा करना होगा और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसका ऑडिट किया जाना चाहिए।

(vii) सेवा प्रदाता/कर्मचारी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के किसी भी उल्लंघन पर प्रत्येक दायित्व के अनुसार उल्लिखित दंड लगाया जाएगा। यह माना जाता है कि सेवा प्रदाता ने पुष्टि कर दी है कि जब भी जुर्माना देय होगा, उसे सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाता को देय भुगतान से काट लिया जाएगा।

(viii) सेवा प्रदाता तैनात सुरक्षा कर्मियों को उनकी पात्रता जैसे मासिक वेतन/मजदूरी, लागू भत्ता, बोनस आदि का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करेगा और उपरोक्त नियम (vi) के अनुसार भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। एक महीने के बिल का भुगतान पिछले महीने के वेतन घटकों के स्पष्ट विवरण के साथ वेतन के संवितरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।

(ix) सेवा प्रदाता, जैसा कि ऊपर नियम (vi) में बताया गया है, केंद्र सरकार के विभाग के सुरक्षा कर्मी (पूर्व सैनिक और नागरिक दोनों) को प्रदान करने के लिए सुरक्षा एजेंसी पर लागू सभी अधिनियमों और नियमों के अनुसार मासिक वेतन/मजदूरी, लागू भत्ता, बोनस आदि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी अनिवार्य वैधानिक कानून का अनुपालन न करने के लिए सीपज़-सेज़ प्राधिकरण किसी भी समय (संविदा अवधि के दौरान या उसके बाद) जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि निविदा "सुविधा प्रबंधन सेवाएं-एकमुश्त आधारित" श्रेणी के तहत जारी की गई है। इसलिए सुरक्षा सेवा प्रदाता बोली के दौरान उद्धृत संविदा मूल्य में सभी अनुपालन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(x) संविदा की अवधि के दौरान केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में किसी भी बदलाव के मामले में, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सेवा प्रदाता को आनुपातिक आधार पर संविदा में उल्लिखित राशि से वेतन के अंतर का भुगतान करेगा। इसलिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि लागू होगी और संविदा मूल्य राशि को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के कारण वृद्धि की सीमा तक संशोधित माना जाएगा। तदनुसार सेवा प्रदाता अंतर बढ़े हुए मूल्य/राशि की 5% प्रदर्शन गारंटी जमा करेगा।

(xi) संविदा के अनुसार और प्रासंगिक दंड, यदि कोई हो, तो कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा। सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को पिछले महीने प्रदान की गई सेवाओं के लिए संविदा में व्यवस्था के अनुसार चालान जारी करेगा। भुगतान सभी प्रकार से पूर्ण चालान प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर सेवा प्रदाता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। सेवा प्रदाता सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को सीधे खाते में भुगतान जमा करने में सक्षम बनाने के लिए सही बैंक खाता संख्या और बैंक के अन्य विवरण प्रदान करेगा। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सेवा प्रदाता को चालान के अनुसार सभी देय राशि का भुगतान करेगा, जो विवाद का विषय नहीं है, एक वैध चालान प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर जो इस करार के संदर्भ में सभी भौतिक सम्मानों का अनुपालन करता है; भुगतान किसी भी कटौती जैसे जुर्माना, वैधानिक कटौती आदि के अधीन होगा।

### (झ) वैधानिक अनुपालन -

सेवा प्रदाता महाराष्ट्र राज्य में केंद्र सरकार के विभाग को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएसएआरए अधिनियम, केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और केंद्र और महाराष्ट्र के किसी भी अन्य अधिनियम और नियमों (जो अनिवार्य रूप से लागू हैं) का पालन करेगा और किसी भी स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को वेतन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए वेतन प्रदान नहीं किया जाएगा।

### (ञ) सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता:

क्रमांक	वर्ग	इयूटी पर सुरक्षा कर्मियों की आवश्यक संख्या	रिलीवर के रूप में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यक संख्या	कुल
1	सहायक सुरक्षा अधिकारी (भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड)	8	02	08
2	निःशस्त्र पुरुष सुरक्षा गार्ड (अनिवार्य रूप से भूतपूर्व सैनिक)	104	16	120
3	निःशस्त्र पुरुष सुरक्षा गार्ड	34	05	39

4	निःशस्त्र महिला सुरक्षा गार्ड	18	03	21
	कुल	164	26	190

### टिप्पणी:

I. सेवा प्रदाता को बैगेज इंस्पेक्टर की योग्यता वाले कम से कम 14 निःशस्त्र पुरुष सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी ऑपरेटर की योग्यता वाले 07 निःशस्त्र पुरुष सुरक्षा गार्डों की तैनाती को सुनिश्चित करना होगा।

II) सेवा प्रदाता सामान निरीक्षण/सीसीटीवी निगरानी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण/प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण बैगेज इंस्पेक्टर या सीसीटीवी ऑपरेटर की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो बोलीदाता कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा।

III) सीपज़ सुरक्षा को शिफ्ट के अनुसार प्रबंधित किया जाता है (एक दिन में 8 घंटे की 3 शिफ्ट) जिसमें 01 गार्ड को 30 दिन के महीने में 26 दिन और 31 दिन के महीने में 27 दिन काम करना होता है। कुल 163 सुरक्षा गार्ड को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से तैनात किया जाना है।

### (ट) सुरक्षा कर्मियों की तैनाती:

सीपज़ सुरक्षा गार्डों की तैनाती शिफ्ट (प्रत्येक 8 घंटे की 3 शिफ्ट) के अनुसार की जाती है।

### \*टिप्पणी:

निविदा दस्तावेज़ में तैनाती स्थानों को गोपनीय रखा जाता है। सफल बोलीदाता को निविदा प्रदान किए जाने पर गैर-प्रकटीकरण समझौते के अधीन प्रतिबंधित मानचित्र, तैनाती स्थान और एसओपी साझा करना होगा।

### (ठ) दंड और समाप्ति:

सेवा प्रदाता इस संविदा के नियमों एवं शर्तों के निष्ठापूर्वक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा दायित्वों के गैर-अनुपालन के मामले में, एसएलए (SLA) के अनुसार प्रति चूक पर जुर्माना लगाया जाएगा और एक ही घटना के खिलाफ लगातार तीन चूकों के मामले में, संविदा रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, समय पर सेवा न देना, समय पर काम शुरू न करना, मौजूदा कानूनों और वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन एक बड़ी चूक मानी जाएगी और बिना कोई नोटिस दिए संविदा को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

क्रमांक	सेवा स्तर करार	उल्लंघन के लिए आधारभूत दंड	पहली घटना	दूसरी घटना	तीसरी घटना
---------	----------------	----------------------------	-----------	------------	------------

1	सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में देरी	सेवा आदेश देने के 2 सप्ताह के भीतर पूर्ण परिनियोजन शुरू करना होगा	ऑर्डर देने के 2 सप्ताह के भीतर 90% तैनाती नहीं होने की स्थिति में और सेवा प्रदाता के कारण देरी होती है तो संविदा के वार्षिक मूल्य का 1% दंड के रूप में लगाया जाएगा। हालांकि, SEEPZ, SEZ प्राधिकरण यदि चाहे तो सेवा प्रदाता को बिना किसी कारण के ऑर्डर रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।	यदि ऑर्डर देने के 03 सप्ताह के भीतर 90% तैनाती नहीं की जाती है और सेवा प्रदाता के कारण देरी होती है तो संविदा के वार्षिक मूल्य का 2% दंड के रूप में लगाया जाएगा। हालांकि, SEEPZ, SEZ प्राधिकरण यदि चाहे तो बिना किसी कारण के आदेश को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा	यदि ऑर्डर देने के 4 सप्ताह बाद तक 100% तैनाती नहीं की जाती है और सेवा प्रदाता के कारण देरी होती है, तो संविदा के वार्षिक मूल्य का 3% दंड के रूप में लगाया जाएगा। साथ ही बिना किसी कारण के संविदा समाप्त कर दिया जाएगा।
	यदि सेवा प्रदाता का कर्मचारी अनन्यता या कर्मचारियों या सीपज़-सेज़ प्राधिकरण या सेवा प्रदाता के अन्य कर्मचारियों के साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार करता है या किसी हिंसक व्यवहार आदि का सहारा लेता पाया जाता है।	कोई घटना नहीं	सुरक्षाकर्मों बदलना और सेवा प्रदाता पर 500 रुपये जुर्माना	सुरक्षा कर्मियों को बदलना और सेवा प्रदाता पर 1000 रुपये का जुर्माना	सुरक्षा कर्मियों को बदलना और सेवा प्रदाता पर 5000 रुपये का जुर्माना (यह आगे के सभी मामलों पर लागू है)
3	सुरक्षाकर्मों फोटो आईडी नहीं लगाते या उचित वर्दी में नहीं पाए जाते	कोई घटना नहीं	संबंधित कर्मचारी के एक दिन के वेतन की कटौती और सेवा प्रदाता पर 500 रुपये का जुर्माना	संबंधित कर्मचारी के एक दिन के वेतन की कटौती और सेवा प्रदाता पर 1000 रुपये का जुर्माना	संबंधित कर्मचारी के एक दिन के वेतन की कटौती और सेवा प्रदाता पर 2500 रुपये का जुर्माना (यह आगे के सभी मामलों पर लागू है)
	सुरक्षाकर्मों के मदिरापान/सोते हुए पाने पर	शून्य घटना	1 दिन का वेतन काटने के अलावा सुरक्षा कर्मियों को तत्काल हटाया जाए और सेवा प्रदाता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।	सुरक्षाकर्मों को तत्काल हटाने के साथ ही 1 दिन का वेतन काटने और सेवा प्रदाता पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा	एक दिन का वेतन काटने के अलावा सुरक्षा कर्मियों को तत्काल हटाया जाए और सेवा प्रदाता पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए (यह आगे के सभी मामलों पर लागू है)
	यदि संसाधन अनुपस्थित है या बिना सूचित किए या पूर्वानुमोदन लिए छुट्टी ले लेता है और यदि सेवा प्रदाता कोई विकल्प प्रदान करने में विफल रहता है	कोई घटना नहीं	सेवा प्रदाता पर 500 रुपये की राशि के साथ इयूटी करने वाले व्यक्ति के वेतन के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।	सेवा प्रदाता पर 1000 रुपये के साथ इयूटी करने वाले व्यक्ति के वेतन के 2 गुना के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।	सेवा प्रदाता पर 3000 रुपये के साथ इयूटी करने वाले व्यक्ति के वेतन के 2 गुना के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा (यह आगे के सभी मामलों पर

					लागू है)
	पीएसएआरए, आदि जैसी सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक किसी भी लाइसेंस की समाप्ति के मामले में	करारा की समाप्ति			
	सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित संसाधनों को टेक होम पारिश्रमिक के भुगतान में देरी, ईपीएफ (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) जमा करने में देरी के मामले में	मासिक बिलों पर प्रत्येक चूक के लिए रु.1000			
	किसी भी उल्लंघन के मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम या सुरक्षा एजेंसी पर लागू होने वाले किसी अन्य अधिनियम और नियम, जो समय-समय पर सेवाओं के लिए लागू होते हैं, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के संज्ञान में लाना।	चूक होने पर 5000 रुपये का जुर्माना, संविदा की समाप्ति के अलावा और उल्लंघन के कारण सभी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।			

## अनुलग्नक- छ

(बोलीदाता के लेटरहेड पर गैर-विनिवेश का स्व-प्रमाणन)

दिनांक:

सेवा में,

विकास आयुक्त सीपज़ सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

विषय: गैर-प्रतिबंधित का स्व-प्रमाणन

महोदय,

में, अधोहस्ताक्षरी, \_\_\_\_\_ नामक व्यावसायिक इकाई में मालिक/भागीदार/निदेशक के पद पर कार्यरत हूं। मैं प्रमाणित करता हूं कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त संस्थाओं

सहित केंद्र सरकार के तहत किसी भी खरीद इकाई द्वारा या राज्य सरकारों या बहुपक्षीय एजेंसियों, जैसे- विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि द्वारा हमें प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं पूरी तरह से जानता हूं कि असत्य घोषणा प्रस्तुत करना धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा और सबसे कठोर व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसमें बोली की अस्वीकृति, प्रतिबंध और एफआईआर दर्ज करने की याचिका भी शामिल है।

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

भवदीय,

(नाम)

(पद का नाम)

(बोलीदाता का नाम)

### अनुलग्नक - ज

(पूर्व सैनिक सशस्त्र सुरक्षा रक्षकों और पूर्व सैनिक निःशस्त्र सुरक्षा रक्षकों की सूची)

{सेवा प्रदाता यहां सहायक सुरक्षा अधिकारी (पूर्व सैनिक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड और निहत्थे पूर्व सैनिक गार्ड) का कार्य प्रोफाइल प्रविष्ट करें।}




## 1. क्रेता द्वारा जोड़ी गई बोली का विशिष्ट एसएलए (SLA)

अनुलग्नक - फाइल। [फाइल देखने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

### अस्वीकरण

क्रेता संगठन में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद क्रेता द्वारा अतिरिक्त नियम और शर्तें शामिल की गई हैं, जिसके तहत क्रेता संगठन बोली प्रक्रिया, उसके परिणाम और परिणामों पर इन नियमों के प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसमें इन एटीसी के कारण बोली प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली किसी भी विलक्षणता/प्रतिबंध और तकनीकी विशिष्टताओं और/या बोली को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के संशोधन के कारण शामिल है। क्रेता द्वारा निम्नलिखित के संबंध में शामिल किए गए किसी भी नियमों को अमान्य माना जाएगा और बोली का हिस्सा नहीं माना जाएगा: -

1. इस संबंध में बोली में श्रेणी - I और श्रेणी - II के आपूर्तिकर्ताओं की परिभाषा डीपीआईआईटी द्वारा जारी वर्तमान आदेश/कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप नहीं है।
2. GeM GTC के तहत ऐसे विक्रेताओं को प्रदान की गई छूट के उल्लंघन में, बोलीदाताओं से ईएमडी जमा करने की मांग करना, जिसमें अतिरिक्त नियम और शर्तें भी शामिल हैं।
3. उन वस्तुओं के लिए कस्टम/बीओक्यू बोलियां प्रकाशित करना जिनके लिए नियमित GeM श्रेणियां बिना किसी श्रेणी आइटम के उपलब्ध हैं।
4. केवल एक आइटम के लिए BoQ बोली बनाना।
5. विशिष्ट ब्रांड या निर्मिति या मॉडल या विनिर्माता या डीलर के नाम का उल्लेख करना।
6. योग्य बोलीदाताओं के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में भौतिक रूप में दस्तावेजों को जमा करने को अनिवार्य करना।
7. सेवाओं में कस्टम बोलियों के रूप में कार्य के संविदा का संचालन/सृजन करना।
8. बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोली के साथ नमूने मांगना या नमूनों का अनुमोदन करना।
9. भारतीय मानकों के अस्तित्व के मामले में भी समकक्ष भारतीय प्रमाणन/मानकों को निर्दिष्ट किए बिना विदेशी/अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करना।
10. केवल विशिष्ट संगठन/विभाग/संस्थान से या विदेशी/निर्यात अनुभव से अनुभव प्राप्त करना।
11. अप्रासंगिक श्रेणियों की वस्तुओं के लिए बोलियां बनाना।

12. एमएसएमई नीति और मेक इन इंडिया नीति को प्राथमिकता के विरुद्ध किसी उपवाक्य का समावेश करना।
13. किसी बाहरी साइट पर प्रकाशित शर्तों का संदर्भ या बाहरी दस्तावेजों/नियमों का संदर्भ देना।
14. बोलियों/फॉरवर्ड नीलामी के मामले में, जैसा भी मामला हो, किसी भी निविदा शुल्क/बोली भागीदारी शुल्क/नीलामी शुल्क के लिए पूछना।

इसके अलावा, यदि किसी विक्रेता को इन अतिरिक्त नियमों के खिलाफ या अन्यथा इस बोली के किसी भी पहलू पर कोई आपत्ति/शिकायत है, तो GeM पर बोली प्रकाशन के 4 दिनों के भीतर विक्रेता लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड में बोली विवरण फ़ील्ड में प्रदान की गई रिप्रेजेंटेशन विंडो में जाकर इसके खिलाफ वे अपना विरोध दर्ज सकते हैं। क्रेता ऐसे सभी अभ्यावेदनों का उत्तर देने के लिए बाध्य है और यदि वह ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर देने में विफल रहता है तो उसे बोलियां खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बोली General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें\_ सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा शासित होती है - इस सेवा के लिए विशिष्ट बोली और Service Level Agreement में निर्धारित शर्तें, जैसा कि बाज़ार (मार्केटप्लेस) में प्रदान किया गया है। हालांकि, यदि सामान्य नियम और शर्तों में निर्दिष्ट कोई शर्त/सेवा स्तर संविदा में निर्धारित शर्तों के विपरीत है, तो यह सामान्य नियम और शर्तों को निरस्त (ओवरराइड) कर देगा।

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में GeM GTC खंड 26 के संदर्भ में, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोली लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोली में भाग लेते समय, बोलीदाता को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा और इसका अनुपालन न करना संविदा को तत्काल समाप्त करने और कानूनों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./

---Thank You/धन्यवाद-----